



मध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

Sr.N. 52

-लाइन आर्डर फार्म:-

पत्रांक: १२३५

वि०वि०खण्ड/अनुबन्ध

दिनांक:- 20/11/2023

बुक संख्या:
कनेक्शन संख्या:

विषय:- नये कनेक्शन के सम्बन्ध में।

उपखण्ड अधिकारी,
विद्युत वितरण उपखण्ड
पूरनपुर/माधौटाण्डा।

आपको सूचित किया जाता है कि उपभोक्ता श्री/श्रीमति हरविन्दर सिंह पुत्र/पत्नी श्री सुखदेव सिंह निवासी लौकाई फार्म पो० उदयकरनपुर तह० कलीनगर ब्लॉक पूरनपुर जिला पीलीभीत ने लौकाई फार्म पो० उदयकरनपुर तह० कलीनगर में 3 अश्वशक्ति/किलोवाट 2.24 का अनुबन्ध इस कार्यालय में जमा कर दिया है तथा बी०एड० एल फार्म व मोटर निरीक्षण शुल्क का चालान इस कार्यालय में जमा कर दिया गया है। अतः उपभोक्ता को कनेक्शन जारी करें, तथा बी०एड० एल० फार्म का सत्यापन करके एक प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करें।

संलग्नक:- एक प्रति वि०एण्ड०एल० फार्म।

(अधिशासी अभियन्ता)

पत्र संख्या-

वि०वि०ख०/अनुबन्ध

दिनांक-.....

- (1) प्रतिलिपि उपभोक्ता श्री/श्रीमति हरविन्दर सिंह पुत्र/पत्नी श्री सुखदेव सिंह ग्राम/निवासी लौकाई फार्म पो० उदयकरनपुर तह० कलीनगर जिला पीलीभीत को सूचनार्थ प्रेषित।
- (2) विद्युत निरीक्षक विद्युत सुरक्षा स्टेशन रोड पीलीभीत को चालान फार्म तथा वि०एण्ड०एल० फार्म आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- (3) प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता (मा०) विद्युत परीक्षण उप खण्ड पूरनपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक :- एक प्रति वि०एण्ड०एल० फार्म।

एक प्रति चालान फार्म।

(अधिशासी अभियन्ता)



मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

Sr.N. 52

पत्र संख्या- 5682

/वि0वि0ख0पू0/

दिनांक- 20/11/2023

कार्यालय ज्ञाप

श्री/श्रीमति हरविन्दर सिंह पुत्र/पत्नी श्री सुखदेव सिंह निवासी लौकाई फार्म पो0 उदयकरनपुर तह0 कलीनगर जिला- पीलीभीत को नलकूप/पम्पसेट कनेक्शन साईट लौकाई फार्म पो0 उदयकरनपुर तह0 कलीनगर में संयोजन लेने हेतु 3 अश्व शक्ति 2.24 किलोवाट विद्युत भार एतद् द्वारा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृत किया जाता है:-

1. बिजली की मात्रा सीमित होने पर सप्लाय बन्द हो सकती है।
2. विद्युत शक्ति का प्रयोग केवल उपर्युक्त कार्य के लिए ही किया जायेगा। तथापि नलकूप के साथ श्रेषर कुटी मशीन तथा खड़ा कोल्हू स्वीकृत अश्व शक्ति के अन्दर चलाये जा सकते हैं किन्तु इसके लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगी अन्यथा विद्युत विच्छेदन की जा सकती है।
3. लाइट का प्रयोग केवल पम्प हाउस में ही किया जायेगा तथा उसके लिए 60 वाट क्षमता के अधिकतम दो बल्ब प्रयोग किये जा सकेंगे। इससे अधिक बल्ब लगाने पर सप्लाय बिना नोटिस के काटी जा सकती है। तथा अन्य कार्यवाही की जा सकती है।
4. निजी नलकूप/पम्पसेट पूर्व निर्मित अथवा निर्माणाधीन नहर से 50 मीटर अन्दर नहीं लगाया जायेगा।
5. जिस ट्रांसफार्मर से किसी राजकीय नलकूप को विद्युत दी जा रही है अथवा दी जाने वाली है। किसी भी निजी नलकूप/पम्पसेट को कनेक्शन नहीं दिया जायेगा।
6. नलकूप/पम्पसेट का प्रांकलन (स्टीमेट) कृषक का बोरिंग होने पर ही बनाया जायेगा।
7. प्रक्रमण शुल्क रुपये 100.00 रसीद संख्या दिनांक

अधिशाली अभियन्ता

पत्र संख्या:-

वि0वि0ख0पू0/नलकूप

दिनांक.....

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड पूरनपुर/माधौटाण्डा को इस आशय के साथ प्रेषित की वह 15 दिन के अन्दर अनुमानित व्यय पत्र बनाकर कार्यालय को प्रेषित करें।
2. श्री अमित कुमार मौर्य अवर अभियन्ता 33/11 के0वी0 उपकेन्द्र शाहगढ़ को सर्वे तथा स्टीमेट प्रेषित करने हेतु।
3. क्षेत्र विकास अधिकारी।
4. उपरोक्त आवेदक।

अधिशाली अभियन्ता



मध्याचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

Sr.N. 52

पत्रांक : 5033

वि.वि.ख.पू./एल.एण्ड टी.

दिनांक : 20/11/2023

विषय:- निजी नलकूप एवं बत्ती प्राप्त करने हेतु नियम व शर्तें तथा तख्तीना संख्या के अन्तर्गत विद्युत की देय।

सेवा में,

श्री/श्रीमति हरविन्दर सिंह पुत्र/पत्नी श्री सुखदेव सिंह निवासी ग्राम लौकाई फार्म पो0 उदयकरनपुर तह0 कलीनगर ब्लॉक पूरनपुर जिला-पीलीभीत।

महोदय,

आपके आवेदन 1008305901 सन्दर्भ में आपको सूचित किया जाता है कि आपके नलकूप के लिए अवशक्ति 3(H.P.)/ 2.24 किलोवाट तथा पंखा व बत्ती के लिए 120 वॉट के कनेक्शन लौकाई फार्म पो0 उदयकरनपुर तह0 कलीनगरदेने हेतु निम्नलिखित शर्तों सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

क्र0सं0	धनराशि का विवरण	धनराशि
1.	जमानत की धनराशि + बत्ती एवं पंखा	1000
2.	निर्धारित सर्विस कनेक्शन चार्जेज	2036
3.	फिक्स चार्जेज	2000
4.	मीटर की कीमत	872
5.	जी0एस0टी0 चार्जेज	0
	कुल योग	5908

- आपके कनेक्शन के लिए कारपोरेशन द्वारा निर्धारित 300 मीटर से अधिक लाइन बढ़ने पर रू0.....का धन अधिक जमा करना होगा जो किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जायेगा।
 - मीटर निरीक्षण शुल्क को राजकीय कोष में (XIII Other Taxes and Duties From B.E.) के अन्तर्गत रू0 जमा करना होगा।
 - आपके नलकूप को कनेक्शन देने हेतु रू0 का व्यय मार कारपोरेशन को वहन करना होगा। जबकि निगम द्वारा इस मद में रू0 की स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः यदि आप बढत (Excess) रू0 को जमा कर देते हैं तो वह 6 रू0 प्रतिशत वार्षिक व्याज के 5 वर्षों बाद अर्द्धवार्षिक किश्तों में वापस कर दिया जायेगा।
 - आपको अपने कनेक्शन के लिए स्वयं सम्बन्धित 33 के0वी0 विद्युत सबस्टेशन/स्टोर सेन्टर पीलीभीत में अपने वाहन से ढुलाई करनी होगी तथा सामान की ढुलाई के साथ कारपोरेशन का कुशल श्रमिक (Skilled Labour) के साथ जायेगी तथा शीघ्र कार्य शुरू कर दिया जायेगा।
 - आपको अपनी लाइन बनाने हेतु आवश्यक ईट व बालू तथा सीमेन्ट का प्रबन्ध नीचे लिखी मात्रा में करना है।
(क) ईट रोड़ी.....Cft (ख) बालू.....Cft (ग) सीमेन्टबैग
 - आपसे सर्विस कनेक्शन चार्जेज में सर्विस केबिल का मूल्य नहीं लगाया जा रहा है। अतः कनेक्शन हेतु केबिल का प्रबन्ध आप स्वयं करेंगे।
 - कनेक्शन हेतु लाइन बनाने के लिएकी आवश्यकता रहेगी उस का भी आपको प्रबन्ध करना होगा। यदि आपको ऊपर लिखित शर्तें मान्य हों तो आप किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दो गवाहों सहित अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में पधार कर एग्रीमेन्ट पर हस्ताक्षर कर दें।
(1) आप नान जुडिशियल 100.00 रू0 का जनरल स्टाम्प 1 रू0 की रसीदी टिकिट (Revenue Stamp)साथ लायें।
(2) आपका अनुबन्ध तमी किया जायेगा जब आपका वायरिंग पूरा होगा एवं बी0 एण्ड एल0 फार्म और मोटर निरीक्षण शुल्क बैंक में जमा किया हुआ चालान फार्म (Meter Inspection Fee) साथ लायेंगे।
- नोट: कि आप उपरोक्त शर्तें इस पत्र के पाने के 90 दिन बाद पूरा नहीं करते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है आप आपका जमा प्रसंस्करण शुल्क रू0 जब्त हो जायेगा।
- नोट: संयोजन वित्तीय वर्ष 2023.24 में समुचित लक्ष्य प्राप्त होने पर ही रूजीकृत किया जायेगा।

पत्रांक...../वि.वि.ख.पू./

दिनांक.....

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत।

2. उपखण्ड अधिकारी विद्युत वितरण उपखण्ड, पूरनपुर/माधोटाण्डा को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

अधिशासी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड-पूरनपुर

उपकेन्द्र का नाम:-

शाहजद

पोषक का नाम:-

वेगपुर


संयोजन पी0टी0डब्ल्यू0 पोषक से प्रस्तावित है हां/नही

नहीं

संयोजन एच0टी0/एल0टी0 पर प्रस्तावित है यदि एल0टी0 पर है तो उक्त परिवर्तक पर संयोजनो का विवरण

संयोजन एल-टी पर प्रस्तावित है
 परिवर्तक की क्षमता = 63 KVA
 परिवर्तक पर भार = (5HP. x 5 + 3HP. x 2
 + 5 Kw + 3 Kw +
 + 1 Kw x 6)
 = 37.146 ≈ 38 Kw

लाईन-चार्ट



(Signature)

अवर अभियन्ता

33/11 के0वी0 उपकेन्द्र का नाम:- शाहजद

(Signature)

उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड-प्रथम/द्वितीय
 पूरनपुर/माधौटाण्डा

ESTIMATE

Estimate for giving connection of 3 H.P. For PTW to **Mr. Harvinder Singh W/O Shri Sukhdev Singh** at Village Lokai Farm Post Udaykaranpur From Begpur feeder under Shahgarh S/S under **Deposit Head**. The L.T Line Shall be tapped from Begpur feeder near village Lokai Farm Post Udaykaranpur Tahsil Puranpur Emination S/S 33/11 KV. Shahgarh

S.NO.	PARTICULARS	UNIT	QTY.	RATE	AMOUNT
1	PCC POLE 8.5 Mtr Long	Nos.	0	2721.00	0.00
2	ACSR Weasal Conductor	KM.	0	23.98	0.00
3	Lt Clamp	Nos.	0	304.00	0.00
4	Shackle Insulator	Nos.	0	36.00	0.00
5	M.S. Earthing Rod (2540X20) Sqmm	Nos.	0	503.00	0.00
6	G.I. Wire 5 MM 6 SWG	KG	0	84.53	0.00
7	Stay Rod 16X1800 Sqmm	Nos.	0	549.00	0.00
8	Stay Clamp	Nos.	0	143.00	0.00
9	Stay Wire 7/10 SWG	KG	0	84.00	0.00
TOTAL OF MATERIAL COST					0.00
SUB TOTAL					0.00

LINE CHART

Total Load on T/f = 38 KW




Contingency Charge 3%	0.00
Total	0.00
T & P Charge 1.5 %	0.00
GRAND TOTAL SAY	0.00

REPORT

An above estimate amounting **Rs. 00.00** has been framed to cover for giving connection of 3 H.P. For PTW to **Mr. Harvinder Singh W/O Shri Sukhdev Singh** Village Lokai Farm Post Udaykaranpur Tahsil Puranpur from Begpur feeder under Shahgarh S/S under Deposit Head .The L.T Line Shall be tapped from Exist **Transformer 63 KVA** of 11 KV Begpur feeder near village Lokai Farm Post Udaykaranpur Tahsil Puranpur , Emination S/S 33/11 KV Shahgarh

The rates have been charged as per current stock issue rates UPPCL & rates of labour charge , cartage charge in the estimate as per current market rates. The above work will be done under the supervision of S.D.O. Madhotanda


S.D.O.
E.D.S.D. Madhotanda


J.E.
33/11 K.V. Shahgarh S/S